

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 04-10-2023

संख्या-7/स्था0-04-12/2019सा0प्र0.18644/भारत संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।
2. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम-4क(i)(क) के बाद (1) एवं (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1) बिहार उच्च न्याय सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की नियुक्तियों में 10 प्रतिशत रिक्तियाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। उपर्युक्त आरक्षण, राज्य में लागू अन्य नियमों के द्वारा किन्हीं अन्य कोटियों के लिए विहित आरक्षण संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त होगा।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी जैसा कि "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" में परिभाषित की गयी है।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति-(1) एतद् संबंधी अधिसूचना संख्या-12725 दिनांक 30.12.2020 निरसित समझे जायेंगे।

(2) इस नियम के उप नियम (1) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, अधिसूचना संख्या-12725 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार किया गया कुछ भी, या कृत कार्रवाई वैध मानी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन से प्रवृत्त थी, जिस दिन से अधिसूचना संख्या-12725 दिनांक 30.12.2020 लागू थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

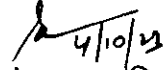
5/10/23
(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-12/2019सा0प्र0.....18644...../पटना-15, दिनांक 04-10-23

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

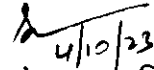
2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

 4/10/23

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-12/2019सा0प्र0.....18644...../पटना-15, दिनांक 04-10-23

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-08 दिनांक 03.10.2023 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 4/10/23

सरकार के उप सचिव।